अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. **एल-विविध/VI/1/2007.**—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2009 , में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत् : :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

 (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

 (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम 2009, के विनियम 10 में, उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् : :—

 "(1) इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।" ।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम सा.का.नि. 808(अ) दिनांक 11-11-2009 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और फा. सं. आरइजी/टी4एस/एनजीपीएल/1/2012 दिनांक 03-09-2012 तथा फा. सं. आरइजी/टी4एस/एनजीपीएल/1/2012 दिनांक 14-03-2014 के माध्यम से संशोधित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/I/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009, namely :—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 10 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely :

"(1) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.".

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 808(E) dated 11-11-2009 and amended *vide* F. No. REG/T4S/NGPL/1/2012 dated 03-09-2012 and F. No. REG/T4S/NGPL/1/2012 dated 14-03-2014.